"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012—चैत्र 24, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक ई-1-14/2011/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1979 आवंटन वर्ष के, वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, श्री एस.व्ही.प्रभात, भा.प्र.से. को, आवंटन वर्ष से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, दिनांक 1-4-2012 से रिक्ति उपलब्ध होने पर, दिनांक 23-3-2012 को छानबीन समिति (Screening Committee) की अनुशंसा अनुसार, उक्त तिथि (1-4-2012) से सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान, रु. 80000/- (निश्चित) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

2. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस-(II), दिनांक 6-1-2012 के द्वारा, मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 01 रिक्ति का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2012

क्रमांक एफ 6-41/2011/1/एक.—प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अवकाश खाते में दिनांक 31-12-2011 की स्थिति में $7^1/_2$ दिवस का अवकाश शेष है, तथा डॉ. जोशी द्वारा 10 दिवस के अर्जित अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा मान. अध्यक्ष, प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी के अवकाश खाते में शेष अवकाश के अतिरिक्त कम पड़ने वाले अवकाश को जनवरी, 2012 में अर्जित होने वाले अवकाश में से समायोजित करते हुए, दिनांक 21 नवंबर, 2011 से 30 नवंबर, 2011 तक (10 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 19 एवं 20 नवंबर, 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-131/2008/32.—श्री पी. जॉय उम्मेन (भा.प्र.से.) अध्यक्ष, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर के दिनांक 31-03-2012 को सेवानिवृत्त होने पर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, को पदेन अध्यक्ष, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 23 मार्च 2012

क्रमांक/514/भू.अ.प्र.क्र./4/अ-82/वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	गहिरानवागांव प.ह.नं. 11	0.14	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर नाली निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/56.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	झरप प.ह.नं. 25	0.097	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	पेण्ड्री माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/57.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	परसदा तेली प.ह.नं. 30	0.375	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	हसौद वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	लोहड़ापाली प. ह. नं. 8	2.909	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	लोहड़ापाली जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर शाखा नहर क्रमांक 1 व 2 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा प. ह. नं. 6	1.752	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	झरन जलाशय योजना अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण चैन क्रमांक 79 से 136 तक के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जामपाली प. ह. नं. 3	4.939	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	जामपाली माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुसमुरा प. ह. नं. 3	3.618	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	जामपाली माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तरकेला प. ह. नं. 10	1.015	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, अस्थायी मुख्यालय खरसिंया, रायगढ़.	केलो परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मौहापाली प. ह. नं. 20	0.502	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मौहापाली जलाशय में प्रभावित भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 19 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 अ/82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	कसडोल	चिचपोल प. ह. नं. 11	1.551	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (स/भ) बलौदाबाजार संभाग, बलौदाबाजार.	चिचपोल से सोनईडीह मार्ग निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 214/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.375 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	436/1	0.101
	436/2	0.121
	439/1	0.012
	439/2	0.012
	439/3	0.012
	439/4	0.012
	439/5	0.012
	439/6	0.012
	454/4	0.081
योग	9	0.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद गुजियाबोर मार्ग पर सोननदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.644 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/1	0.016
50/1	0.028
49/2	0.032
58/2	0.016
89/2	0.072
88/2	0.040
100/1	0.024
145	0.004
54/1	0.080
56/1	0.006
58/1	0.008
61/3	0.012
88/3	0.044
102/1	0.008
146/4	0.012
55/1	0.040
56/2	0.018
61/1	0.020
88/1	0.044
101	0.064

(1)	(2)
146/5, 189	0.056
योग 21	0.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सरवानी जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जामगांव, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.636 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टयर में) (2)
542	0.008
623/3	0.028
625/2	0.048
541/3	0.016
680	0.032
610/4	0.012
682	0.004
686/2	0.048
624	0.076
541/2	0.004
626/1	0.036
544	0.012
681	0.028
611	0.028
679/1	0.040
566/3	0.024
541/1	0.008
623/2	0.032
626/2	0.020
612	0.012
691	0.052
684	0.036
679/2	0.032
योग 23	0.636

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जामगांव जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमनारा, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.394 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1	0.016
26/1	0.024
22	0.014
45/1	0.036

(1)	(2)
46/1	0.190
23/2	0.036
46/1	0.078
योग 7	0.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कलारमुड़ा जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.986 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
465/1ख	0.089
530/2	0.032
562/4क	0.235
577/4, 606/1क	0.121
465/1/2	0.045
534/2	0.109
565/1क	0.231
605/3/3	0.121
465/1/3	0.040
562/2	0.081
565/3	0.065
465/2	0.817
योग 12	1.986

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोकड़ीतराई जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.987 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/1	0.024
159	0.016
185/3	0.081
178	0.125
185/4	0.049
84/2ख	0.036
170/1	0.049
173	0.032
179	0.057
158/1	0.137
171	0.073

	(1)	(2)
	174/2	0.227
	185/1	0.081
योग	13	0.987

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पण्डरीपानी जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जुर्डा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.126 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	9/1	0.045
	10/1	0.081
योग	2	0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पण्डरीपानी जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीपाली, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.759 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305/3	0.049
284/1	0.030
340/2	0.089
337	0.251
358	0.049
304/2	0.047
255/2	0.025
340/3	0.028
355/2	0.045
304/5	0.047
304/3	0.093
305/1	0.048
304/1	0.049
338	0.251
340/1	0.028
255/1	0.025
339/1	0.042
304/5	0.047
339/3	0.091
306/2	0.049
339/2	0.049
306/1	0.048
260/2	0.040
344	0.040
343	0.028

	(1)	(2)
	305/2	0.049
	341/1	0.053
	260/1	0.040
	340/4	0.029
योग	29	1.759

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तेलीपाली जलाशय योजनान्तर्गत पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 29 मार्च 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 294.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कंवलाझर, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम कंवलाझर, प.ह.नं. 9, तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कंवलाझर/9	281/1	0.024	0.06
			280	0.032	0.08
			279/1, 3	0.081	0.20
			279/2	0.040	0.10
			277	0.036	0.09
			276	0.008	0.02
			267/1	0.065	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			267/2	0.024	0.06
			268/1	0.028	0.07
			268/2	0.008	0.02
			275	0.016	0.04
			269/2	0.024	0.06
			271, 272	0.093	0.23
			273/1	0.040	0.10
			458	0.016	0.04
			457	0.008	0.02
			456/1	0.016	0.04
			456/2	0.016	0.04
			455	0.020	0.05
			454/1	0.061	0.15
			453/2	0.061	0.15
			452	0.020	0.05
			442/1, 442/2	0.121	0.30
			469/2	0.024	0.06
			470	0.053	0.13
			468/2	0.020	0.05
			472	0.040	0.10
			496	0.032	0.08
			495	0.016	0.04
			473, 474	0.085	0.21
			488, 489	0.081	0.20
			487/1	0.032	0.08
			487/2	0.032	0.08
			523	0.020	0.05
			988	0.049	0.12
			989	0.121	0.30
			956/1	0.032	0.08
			956/2	0.032	0.08
			956/3	0.032	0.08
			956/4	0.081	0.20
			952/1	0.081	0.20
			952/3	0.012	0.03
			942/1ka	0.134	0.33
			943/2	0.061	0.15
			933/2	0.049	0.12
			933/1ka	0.061	0.15
			932/2	0.012	0.03
			932/1	0.053	0.13
			929/1	0.008	0.02
			929/2	0.028	0.07
			899	0.020	0.05
			898	0.028	0.07
			892/1ka	0.348	0.86
			892/1kh	0.008	0.02
			892/1Anga	0.008	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			887/2	0.073	0.18
			887/1	0.073	0.18
			881/2	0.040	0.10
			881/1	0.020	0.05
			879/1	0.101	0.25
			880/5	0.113	0.28
			833/3	0.109	0.27
			833/1	0.008	0.02
			833/4	0.097	0.24
			833/7, 833/10, 833/11, 833/12	0.121	0.30
			831	0.036	0.09
			825/1	0.105	0.26
			824	0.049	0.12
			822	0.016	0.04
			823/3	0.045	0.11
			812/2	0.061	0.15
			812/1	0.121	0.30
			811/2	0.069	0.17
			810	0.020	0.05
			809/1	0.024	0.06
			809/2	0.024	0.06
			808	0.081	0.20
		कुल	77	3.966	9.8

डभरा, दिनांक 29 मार्च 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 298.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम झनकपुर, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम झनकपुर, प.ह.नं. 9, तहसील डभरा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) तक गेरार्रा अथेना छ.ग. पावर लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	झनकपुर/9	67/3	0.020	0.05
			49/2	0.008	0.02
			67/4	0.020	0.05
			3	0.032	0.08
			4	0.024	0.06
			5/1	0.032	0.08
			6	0.012	0.03
			7	0.020	0.05
			8	0.162	0.04
			1/3	0.016	0.04
			9/5	0.008	0.02
			17	0.004	0.01
			16/1	0.004	0.01
			18	0.053	0.13
			21/1	0.049	0.12
			22	0.016	0.04
			23/2	0.045	0.11
			24	0.004	0.01
			27/1, 27/2, 27/3	0.028	0.07
			30/1	0.036	0.09
			35	0.036	0.09
			36/1	0.008	0.02
			34/2	0.065	0.16
		कुल	23	0.704	1.74

डभरा, दिनांक 29 मार्च 2012

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 302.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कठर्रापाली, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम कठर्रापाली, प.ह.नं. 1, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कठरापाली/1	136/1, 136/2	0.324	0.80
			138	0.162	0.40
			139/5	0.016	0.04
			193	0.170	0.42
			192/2	0.016	0.04
			190/1, 190/3	0.138	0.34
			189/1	0.069	0.17
			189/3	0.089	0.22
			145/3	0.065	0.16
			171/4	0.008	0.02
		कुल	**10**	**1.056**	**2.61**

डभरा, दिनांक 29 मार्च 2012

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 306.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सिरियागढ़, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम सिरियागढ़, प.ह.नं. 9, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरियागढ़/9	284	0.012	0.03
			283	0.032	0.08
			282/2	0.036	0.09
			281/1	0.081	0.20
			22/1	0.069	0.17
			22/2	0.020	0.05
			20/2	0.024	0.08
			27	0.069	0.17
			26/1	0.012	0.03
			28	0.049	0.12
			29/1	0.049	0.12
			30/1	0.089	0.22
			33/3	0.008	0.02
			33/4	0.020	0.05
			275/2	0.097	0.24
		कुल	**15**	**0.667**	**1.67**

एस. सी. श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)